राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :– राम/भू.अ./ई–3/प–1/2010/ 11495 दिनांकः– 31-7-12

–:: परिपत्र ::–

राज्य सरकार द्वारा मंत्री मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय की पालना में राजस्व प्रशासन में तत्परता हेतु फील्ड स्तर से उच्च स्तर को संचार तंत्र के माध्यम से नियंत्रित रखने एवं प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राजस्व मण्डल के माध्यम से मोबाईल हैण्ड सैट का वितरण किया गया है ।

राजस्व मण्डल स्तर से प्रदान किए गए निर्देश के अनुसार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर,, अतिरिक्त जिला कलेक्टर,, डी. आई. ओ., उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार,, अतिरिक्त तहसीलदार/उप–तहसीलदार, भू0अभिलेख निरीक्षक, पटवार वृत के पटवारियों के नम्बर स्थाई होंगे ।

आप द्वारा मण्डल को भिजवाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाईल नम्बर राज्य सरकार एवं समस्त जिला कलेक्टर स्तर पर जिले की वेब साइट पर उपलब्ध कराए गए है ।

मण्डल में राज्य सरकार स्तर एवं उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार यह शिकायत प्राप्त होती है कि राजस्व प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के जो नम्बर इन्टरनेट पर उपलब्ध है, वह नम्बर या तो संबंधित अधिकारी का नहीं है, बन्द है अथवा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा राजस्व मण्डल को जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के जो नम्बर उपलब्ध कराए गए है, उन नम्बर पर वे अधिकारी/कर्मचारी ही उपलब्ध पाए जावें व उनके मोबाईल हैण्ड सैट सही तरह से कार्यरत पाए जावें । यदि इस व्यवस्था में अनियमितता बाबत अंकेक्षण आक्षेप गठित होता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी ।

अतः इस प्रकिया को सुचारु रुप से कियानव्यन हेतु अपने स्तर से अधिनस्थों को निर्देश प्रदान करावें व यह सुनिशिचितता करावें कि मण्डल को भिजवाए गए मोबाईल नम्बर यथावत व कियाशील रहे एवं स्विच ऑफ नही किये जाएं। यदि अब भविष्य में आवंटित मोबाईल कियाशील नहीं पाया गया तो सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसका समस्त दायित्व उनका होगा। साथ ही जिला कार्यालय उनके जिले में आवंटित मोबाईल कियाशील होने का प्रमाण पत्र दिनांक 10.08.2012 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें।

(हेमन्त शेष)
निबन्धक

क्रमांक : 11496-532 दिनांक : 31-7-12

प्रतिलिपी : निम्न को पालनार्थ प्रेषित है :–

E-MAIL
1– संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान
2– जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान ।

(अलका मीणा)
उप–निबन्धक(भू0अ0)